1994 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए अपने सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की समस्याओं पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में भ्रष्टाचार के ब्यौरों पर विचार किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु की गई सिफारिशों और किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) से (ग) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के तत्वाधान में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की एक कार्यशाला 27-29 सितम्बर, 1994 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में भ्रष्टाचार निवारण के उपायों पर इस सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्य सतर्कता अधिकारियों के बीच विचारों तथा अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ। कार्यशाला के समापन पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार की प्रभावी रूप से रोकथाम के निमित सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए गए:—

(i) प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में सतर्कता कार्य के लिए एक आदर्श प्रतिरूपी सतर्कता तंत्र का होना।

(ii) प्रभावी सतर्कता कार्य के लिए सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में पृथक सतर्कता तंत्र का सृजन।

(iii) मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता पदाधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाना।

(iv) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पृथक संगठन का सृजन करना ताकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने के लिए अपनाए गए तरीकों के अनुरूप ही जांच की जा सके।

(v) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के सतर्कता कार्य का त्रैमासिक मूल्यांकन तथा

(vi) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत विभिन्न स्तर के अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा पारित अनुशासनिक मामले संबंधी अंतिम आदेशों की निदेशक मंडल द्वारा त्रैमासिक समीक्षा।

आदर्श प्रतिरूपी सतर्कता तंत्र की स्थापना विषयक सुझाव के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग को पहले ही अध्ययन करने तथा उपयुक्त सिफारिशें देने का अनुरोध किया गया है। तथापि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में पृथक सतर्कता तंत्र स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इससे किसी संगठन में सतर्कता के यथार्थ तथा निष्पक्ष ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सतर्कता प्राधिकारियों की भर्ती में जिस लचीलेपन की आवश्यकता है, उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी।

इस समय केन्द्रीय सतर्कता आयोग मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है जिससे कि उनकी प्रशिक्षण जरूरतों की पूर्ति होती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरह एक और संगठन के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इससे परस्परव्यापी कार्यों तथा समन्वय संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। इसके अलावा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का पुनर्गठन इस दृष्टि से भी किया गया है कि ब्यूरो सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में व्याप्त गंभीर कमियों के मामलों से भी प्रभावी रूप से निपटें। प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सतर्कता कार्य के त्रैमासिक मूल्यांकन संबंधी सुझावों तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को समय-सीमा में लिखे जाने पर बल देते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों को लिखा गया है।

कार्यशाला में जो विचार-विमर्श हुआ उसकी जो रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्राप्त हुई है उसमें सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में भ्रष्टाचार से संबंधित ब्यौरे शामिल नहीं थे।

Illegal Renting of Buildings by Cultural Societies

2536. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Bhartiya Kala Kendra, Shri Ram Centre for Art and Culture, Indian Council of World Affairs (Sapru House), Gandharav Mahavidyalaya and Sangeet Bharti have rented out any part of their buildings;

(b) if so, the parties to which these have been rented out and the terms and conditions thereof;

(c) the total income derived by each one of these organisations therefrom;

(d) whether permission from Government/L&DO was sought in this regard;

(e) if not, whether any misuse charges have been demanded by Government/ L&DO from them; and

(f) if so, the amount so realised from each of them?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPTT. OF URBAN DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI R. K. DHAWAN): (a) to (f) The information with reference to renting, etc., of these premises is being collected afresh in view of the latest guidelines on the subject. Further action for recovery of Government dues, wherever applicable, will be taken as per instructions on the subject, within a period of three months.

Increase in Charges for Patients in Hospitals

2537. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fee and other charges required to be paid by patients in different Government and other Institutions like the All India Institute of Medical Sciences, Delhi and PGI, Chandigarh have been increased, if so the details thereof;

(b) whether Government's attention in the context has been drawn to the reported desertion of Government Hospitals in Punjab by patients, including the T.B. patients, without permission and against medical advice; and

(c) what is Government's reaction thereto, by way of reverting or reducing the fees and charges for patients in Government Hospitals or otherwise to ansure due treatment for the patients?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. R. ANTULAY): (a) Charges have been increased as per statement unclosed (*see below)* in respect of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and PGI, Chandigarh.

(b) No such report has been received by the Government.

(c) Poor patients get exemption for registration charges, admission charges for general ward and are also provided medicines and other surgical items as per recommendation by Medical Social Worker and treating physician.

Statement

Increase in Charges

PRIVATE WARD:

(1) Admission charges at the time of admission (non-refundable) Rs. 100/- per admission against the earlier charges of Rs. 500/-.

(2) Hospitalisation charges for Private Wards per day remain the same.
(a) 'A' Class Room : Rs. 900/-
(b) 'B' class Room : Rs. 600/-

(3) Every private Ward Patient would be charged a lumpsum investigation fee of Rs. 150/- per day (irrespective of numbers of investigations done) for such routine investigations costing less than Rs. 100/-. Routine investigations include tests like routine blood, urine, X-ray and ECG investigation but will exclude those relating to Cardiology, Nuclear Medicine, NMR, Rehabilitation and Dantistry.

(4) All medicines and disposables are to be provided by the patient. In case of emergency, life-saving medicines are provided by the hospital and these are to be replaced by the patients.